

## वाद पंजीकरण अनुरोध हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की भौतिक जांच हेतु चैकलिस्ट

निबन्धक कोर्ट में प्रस्तुत होने वाली अपील/निगरानियों को निम्न तरह से जांच कर पोर्टल में दर्ज करवाकर संबंधित अहलमद को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जाता है:—

1. निगरानी/अपील मीमों पर टिकट लगवाना व अभिभाषक के हस्ताक्षर होने की जांच करना।
2. स्थगन प्रार्थना पत्र/धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र पर टिकट की जांच करना व उनके समर्थन में पेश किये गये शपथ-पत्र की जांच करना।
3. आक्षेपित आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि है या नहीं की जांच करना।
4. अपील/निगरानी में सलंगन अभिभाषक पत्र पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर की जांच करना व टिकट व वेलफेयर टिकट लगाये है या नहीं की जांच करना।
5. अप्रार्थियों के नोटिस व मीमों की प्रतियां लगाई गई हैं या नहीं की जांच करना व तलवाना में टिकट लगाया है या नहीं की जांच करना।

नई अपीलों/निगरानियों में उपरोक्तानुसार पूर्ति नहीं की जाती है तो प्रकरणों को दर्ज कर प्रकरणों का उद्देश्य(Case Purpose) 'कमीपूर्ति' नियत रखा जाता है।